मु0न0—154/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः— 27.10.2023

मु0न0 154/2023

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

पुष्पा पत्नि रामोतार जाति मीना निवासी मण्डेरू तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
(सायला)

बनाम

1. शारदा पत्नि केदार मीना निवासी मंडेरू तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट सायला
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायला न0 1

निर्णय दिनांक 19.12.2024

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मंडेरू की आराजी ख0न0 262 रकवा 0.40 है0 मे सायला 1/2 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा बकिया हिस्से की गैरसायला न0 1 खातेदार काश्तकार है। वर्णित आराजीयात का सायला व गैरसायला न0 1 के मध्य बहामी बटवारा हो रहा है तथा अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर काश्त कर रही है भूमि का सायला व गैरसायला न0 1 के मध्य विधिवत बटवारा नही होने के कारण व आये दिन डौल मेड को लेकर विवाद बना रहता है।

बाका दिनांक 10.10.2023 को सायला ने गैरसायला न0 1 से बमुकाम मंडेरू मे बटवारा कराने के लिये कहा तो गैरसायला न0 1 ने बटवारा कराने से साफ इन्कार कर दिया, इसलिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायला का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति क सिद्वान्त भी सायला के पक्ष मे साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायला को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान भूमि ख0न0 262/0.40 है0 मे सायला के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा नही करे, आराजी को रहन व्यय नही करे। सायला को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे बेदखल नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायला न0 2 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, गैरसायल न0 1 की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने जबाब काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश किया कि वर्णित आराजीयात ख0न0 262/0.40 मे गैरसायला न0 1 हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायला न0 1 की आराजी की मौके पर अलग डोल मेढ हो रही है तथा यह भूमि गैरसायला न0 1 की अन्य भूमि के लगवा है गैरसायला की इस भूमि से सायला का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है, लेकिन सायला की नियत मे बदयांति है और वह गैरसायला न0 1 की भूमि को जबरन हडपना व बेदखल करना चाहती है। गैरसायला न0 1 दिनांक 01.01.2024 को अपने खेत पर फसल की रखवाली कर रही थी कि सायला व उसके परिवारजन आये और गैरसायला को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, इसलिये सायला को गैरसायला न0 1 की हिस्से की भूमि मे मजाहमत मदाखलत पैदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नही करने बावत पाबन्द किया जावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि गैरसायला न0 1 की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0न0 262/0.40 है0 मे 1/2 हिस्से मे सायला , गैरसायला के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की रूकावट व व्यवधान पैदा नही करे तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायला वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम मंडेरू की आराजी ख0न0 262 रकवा 0.40 है0 मे सायला 1/2 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा बकिया हिस्से की गैरसायला न0 1 खातेदार काश्तकार है। वर्णित आराजीयात का सायला व गैरसायला न0 1 के मध्य बहामी बटवारा हो रहा है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर काश्त कर रही है भूमि का सायला व गैरसायला न0 1 के मध्य विधिवत बटवारा नही होने के कारण व आये दिन डौल मेड को लेकर विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान भूमि ख0न0 262/0.40 है0 मे सायला के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा नही करे, आराजी को रहन व्यय नही करे। सायला को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे बेदखल नही करे।

गैरसायला वकील ने जबाब काउन्टर क्लेम मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात ख0न0 262/0.40 मे गैरसायला न0 1 हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि गैरसायला न0 1 की अन्य भूमि के लगवा है गैरसायला की इस भूमि से सायला का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, सायला, गैरसायला न0 1 की भूमि को जबरन हडपना चाहती है। इसलिये सायला को गैरसायला न0 1 की हिस्से की भूमि मे मजाहमत मदाखलत पैदा नही करने बावत पाबन्द किया जावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि गैरसायला न0 1 की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0न0 262/0.40 है0 मे 1/2 हिस्से मे सायला , गैरसायला के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की रूकावट व व्यवधान पैदा नही करे तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम मण्डेरू की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे ख0न0 262/0.40 है0 मे वादीया 1/2 तथा प्रतिवादीया न0 1 हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायला द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ वर्णित आराजीयात का बटवारा बावत प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 05.12.2024 को उभयपक्ष की सहमति से प्राथमिक डिकी किया जा चुका है। तथा सायला व गैरसायला न0 1 हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्ष के पक्ष मे साबित होने से सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व गैरसायला न0 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य नही होने अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षति उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित होने से सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तथा गैरसायला न0 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:07 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner